सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 1817 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामचन्द्र पुत्र छोगा जाति जाट निवासी ग्राम उगानखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती

निर्णय

दिनांकः–21.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सरसडी में पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके उगानखेडा पटवार हल्का उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर के आराजी जमाबन्दी स. 2070–73 में दर्ज खसरा नम्बर 917 रकबा 0.09 है. किस्म गै.मु.पाल दर्ज खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के कब्जे काश्त मे निरन्तर चली आ रही है उक्त आराजी के वादी खातेदार काश्तकार है व खातेदारी में दर्ज होती चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नम्बर वर्किग जमाबन्दी में 2027 की जमबान्दी में 542 थे तथा जमाबन्दी स. 2027 के आधार पर जो नक्शा टेस राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया था वह उक्त आराजीयात की स्थिति के अनुसार सही तैयार किया गया था तथा मौके पद भी वादी उक्त नक्शा ट्रेस के आधार पर ही काबिज है लेकिन राजस्व अधिकारीयो की ने बिना किसी न्यायालय आदेश के वर्तमान नक्शा ट्रेस तैयार करते समय में पूर्व नक्शे की स्थिति को बिल्कुल ही बदलते हुये वादी की आराजीयात को गलत जगह तरमीम कर दी है, उदस जगह वादी अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज चले आ रहे है। वादी की आराजीयात का जो नक्शा दिया गया है उसमें पूर्व स्थिति को परिवर्तित कर दिया है व नक्शे में भिन्नता कर दी गई है। उसे वापस उसी तरह किया जावें। वाद स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में आज केम्प कोर्ट सरसडी में जवाब पेरोकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम उगानखेडा के खाता स. 169 केखसरा नम्बर 9172 रकबा 0.09 है. किस्म गै.मु. पाल रामचन्द्र पुत्र छोगा जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल हाल बने खसरानम्बर 917 रकबा 0.09 है.,,ख.न. 545मी. व ख.न. 918 रकबा 1.51 , ख.न.544 रकबा 1.44 , ख.न. 545 रकबा 0.07, 907 / 0.12 , 542 / 0.09,543 रकबा 0. 03है. क्रमशः साबिक खसरानम्बर बने है। साबिक खसरा नम्बर 542 वर्किग जमाबन्दी स. 2041 अनुसार रघुनाथ पुत्र हरजी कोम जाट के नाम दर्ज है। वादी द्वारा वाद पत्र में साबिक खसरा नम्बर 542 के अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुतु किया है जो वादी के नाम दर्ज नही है। अतः वाद पत्र स्वीकार योग्य नही होकर खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार वादी का वाद पत्र वादी के पक्ष में जाहिर होना नही होता है और न ही वादी का प्राईमा फेमाईस प्रकरण बनता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी के मुताबिक पैरोकार सरकार जवाब अुनसार ग्राम उगानखेडा के खाता स. 169 रामचन्द्र पुत्र छोगा जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल हाल बने खसरा नम्बर 917 रकबा 0.09 है.,,ख.न. 545मी. व ख.न. 918 रकबा 1.51 , ख.न.544 रकबा 1.44 , ख.न. 545 रकबा 0.07, 907 / 0.12 , 542 / 0.09,543 रकबा 0.03है. क्रमशः साबिक खसरानम्बर बने है। साबिक खसरा नम्बर 542 वर्किग जमाबन्दी स. 2041 अनुसार रघुनाथ पुत्र हरजी कोम जाट के नाम दर्ज है। वादी द्वारा वाद पत्र में साबिक खसरा नम्बर 542 के अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुतुत किया है जो वादी के नाम दर्ज नही होने खारिज योग्य बनता है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी